न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादीगण :–

1. चोथाराम पुत्र रामकरण जाति जाट, निवासी मेरासी परबतसर
2. मंगलाराम पुत्र श्योदानराम जाति जाट निवासी मेरासी, परबतसर
3. मदनराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी मेरासी परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कल्याणसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेरासी
2. गिरधारीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेरासी
3. तुलसीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेरासी
4. बाला पुत्री भंवरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेरासी
5. बिदाम पुत्री भंवरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेरासी
6. मेवसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेरासी
7. लालसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेरासी
8. सवाईसिंह पुत्र भरतसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेरासी
9. विक्रमसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेरासी
10. तहसीलदार परबतसर।

दावा बाबत् :– बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री श्यामनिरजंन बोहरा अधिवक्ता वादी,

मुकदमा नम्बर :– 2023/75 निर्णय दिनांक :– 21.07.2025

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामनिरंजन बोहरा ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम मेरासी पटवार हल्का बिठवालिया, तहसील परबतसर की सरहद में खेत खसरा नम्बर 358/13 रकबा 1.0360 हैक्टर, खसरा नम्बर 359/13 रकबा 0.0240 हैक्टर कुल खसरा दो कुल रकबा 1.0600 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसमें वादीगण सहखातेदार है। विवादित आराजीयान की भूमि का वर्षों से बंटवारा हो रखा है उसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज कास्त है। विवादित आराजियान के राजस्व रेकर्ड में वादीगण की जाति जाट है जो जमाबंदी में रावणा राजपूत गलत दर्ज कर रखी है तथा जमाबंदी में दर्ज मंगलसिंह पुत्र गाविन्दसिंह फौत हो चुका है जिसका पुत्र प्रतिवादी

संख्या 09 है जिसे मंगलसिंह के स्थान पर प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। उक्त भूमि का मौके पर बंटवारा हो रख है। राजस्व रेकर्ड में विवादित आराजियान की भूमि सामलाती है तथा बंटवारे के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा करावाने हेतु कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इंकार कर दिया जिससे वादीगण विरूद्ध प्रतिंवादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस बंटवारा करवाने व विवादित आराजियान की भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण की जाति रावणा राजपूत दर्ज हो रखी है उसके स्थान पर वादीगण की जाति जाट दर्ज की जावे तथा वादीगण का राजस्व रेकार्ड अलग दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेश में तरमिम करवाने की इस्तदुआ चाही है।

दावा वकील वादी द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के सम्मन विधिवत रूप से तामिल सुदा प्राप्त हुए बावजूद इसके अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में तदल की गई जिसमें मेघनाथ पुत्र भंवरनाथ व मंगलाराम पुत्र श्योदानराम के शपथ–पत्र पेश किए। दिनांक 10.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 गिरधारी सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 तुलसी सिंह व प्रतिवादी संख्या 9 विक्रम सिंह हाजीर अदालत होकर वादी की हिस्से की भूमि का बंटवारा किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। और साक्ष्य पेश नहीं करने पर पत्रावली बहस मे तलब की जाकर बहस वकील वादी की एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद का समर्थन करते हुए वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किंया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादीगण की जाति रावणा राजपूत दर्ज हो रखी है उसके स्थान पर वादीगण की जाति जाट दर्ज की जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज माफिक मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर मंगवाया जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक की विद्ववतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायकि दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया। वादी ने वाद के साथ जमाबंदी सम्वत 2073–2076 की पेश की है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सह खातेदार काश्तकार है साथ ही बेचाननामा दिनांक 06.06.2012 की प्रति पेश की है जिसमें खरीददार मंगलाराम पुत्र

श्योदानराम जाति जाट, कालूराम पुत्र श्री रामकरण जाति जाट, मदनराम पुत्र श्री रामकरण जाति जाट की जाति जाट होना अंकित है। उक्त बैचाननामा अनुसार वादीगण की जाति जाट किया जाना व वाद बंटवारे का होने के कारण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को बंटवारा प्रस्ताव हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार परबतसर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक भू0अ/2025/1222 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया, जिसका अवलोकन कर वकील वादी ने सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव राजस्व रेकर्ड में घोषित किया जाकर अलग–अलग होल्डिंग कायम किये जाने का निवेदन किया।

अतः वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से ड्रिकी की जाती है कि ग्राम मेरासी पटवार हल्का बिठवालिया, तहसील परबतसर की सरहद में खेत खसरा नम्बर 358/13 रकबा 1.0360 हैक्टर, खसरा नम्बर 359/13 रकबा 0.0240 हैक्टर भूमि का तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है। तदनुसार वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार को निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टांडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर